

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

दिनांक -

क्रमांक -

## -: आम-सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निम्न संलग्न ग्रामों के खसरो का सर्वे करवाया गया है जिसमें पाया गया है कि कतिपय खातेदारों/व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि का बिना भूमि रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोग किया जा रहा है। बिना रूपान्तरण/बिना ले-आऊट स्वीकृत कराये अवैध आवासीय कॉलोनियों काट दी गई है जो कि जो.वि.प्रा. की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन अवैध कॉलोनियों को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों में भूखण्ड नहीं खरीदे व कोई व्यक्ति ऐसी कॉलोनियों काट रहा हो तो तुरन्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचित करें।

इस नोटिस के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिए हितबद्ध व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार रहेंगे व प्राधिकरण द्वारा हटाये गये अवैध निर्माणों को हटाने का खर्चा वसूल किया जायेगा।

उपायुक्त (पूर्व)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
88 जोधपुर